संख्याः 5/2023/आई/293421/2023 /पैतीस-2-2023

प्रेषक,

राम प्रीत राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2023**

विषयः- एवं प्रस्ताव **लेखाशीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001-निदेशन प्रशासन -03-अर्थ एवं संख्या निदेशालय के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि हेतु पुनर्विनियोग (वर्ष 2022-23) के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 207/ले0-21/22, दिनांक 01.03.2023 के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रभाग के अधिष्ठान परक लेखाशीर्षक- "3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001-निदेशन एवं प्रशासन -03-अर्थ एवं संख्या निदेशालय" के अन्तर्गत मद संख्या-01- वेतन की सम्भावित बचत कुल रू0 103.34 लाख की धनराशि में से इसी लेखाशीर्षक की क्रमशः मद 17- किराया उपशुल्क और कर-स्वामिस्व में रू0 64.00 लाख, मद 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रू0 9.87 लाख, मद 49-चिकित्सा व्यय में रू0 29.09 लाख तथा मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में रू0 0.38 लाख अर्थात कुल रू0 103.34 लाख (रू0 एक करोड़ तीन लाख चौतीस हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग द्वारा स्थानान्तरित (फार्म बी0एम0-9 पर) किये जाने के उपरान्त स्वीकृति धनराशि का व्यय निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा :-

(1) प्रभाग द्वारा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।
(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(4) धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अनुसार उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये पुनर्विनियोग किया जा रहा है।
(5) प्रभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

उक्त पुनर्विनियोग हेतु वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-**आर.ई.संख्या–बजट-1-606, दिनाँक 24.03.2023** द्वारा सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

संलग्नक- फार्म बी0एम0-9

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 5/2023/आई/293421 (1)/पैंतीस-2-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।